केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/183 दिनांक: 03.05.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00182
CICOM/R/2006/00356

अपीलकर्ता : श्री आनन्द सिंह,
एफ-228, हर्ष विहार,
हरी नगर पाट-3, जैतपुर,
बदरपुर, नई दिल्ली – 110044.

निर्णय की तारीख : 03.05.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.03.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	18.04.2016, 19.01.2016 (गलत अंकित)
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर.एल.गुप्ता, श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.04.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	129441/21.04.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	231/22.04.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अपने द्वितीय अपील सं. *CIC/BS/A/2015/002325* के संदर्भ में वेबसाईट में गलत लोक प्राधिकरण दिखाए जाने को ठीक करने का अनुरोध किया है । जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर.एल. गुप्ता व श्री दिनेश कुमार, जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल किया है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री आर.एल.गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 18.04.2016 को सूचना प्रदान की गई कि फाइल सं. ***CIC/BS/A/2015/002325*** उनकी रजिस्ट्री से संबंधित नहीं होने के कारण श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक, सेन्ट्रल रजिस्ट्री को दिनांक 15.03.2016 को वापस कर दी गई थी । दूसरी सूचना जो कि श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई है, प्रदान की गई सूचना के प्रथम पैरा में उल्लेख किया गया है कि संबंधित आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 16.03.2016 को आर.टी.आई. से प्राप्त हुआ, जब कि उसी आर.टी.आई. का जवाब देने की तारीख 19.01.2016 अंकित है, सूचना के पैरा सं. 2 में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित फाइल सेंट्रल रजिस्ट्री को वापस करने हेतु उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-बी.एस. को अनुरोध किया गया है । जबकि उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त–बी.एस. कार्यालय द्वारा पहले ही सूचित किया जा चुका है कि संबंधित फाइल दिनांक 15.03.2016 को ही सेन्ट्रल रजिस्ट्री का वापस कर दी गई है । इसे गंभीर लापरवाही एवं गैर-जिम्मेदाराना कार्यवाही मानते हुए श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पांच कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना स्पष्ट और पूर्ण रूप में उपलब्ध करवाई जाए ।

3. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

O/U

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
10 MAY 2016
Initials..........

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
1[illegible] MAY 2016
D. No..........
Initials..........

---2/-

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर.एल.गुप्ता, उप-पंजीकय व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

19/5/16